

सं - 77/02/2020_प्रशासन-

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम व्यूटी

एस.सी.ओ. 28-31, सेक्टर 17/ए, चार्डीगढ 160017
दिनांक 29 October, 2020

टीआर 24.खजाना नियम 272

आवाहिक वेतन-वृद्धि का प्रमाण पत्र | 76 / 2020

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सरकारी कर्मचारियों ने रत्नम् 6 में दी हुई दिनांक से कम से कम एक वर्ष को अवधि की गणना करते समय अवधार के कारण हुई मुआत्ताली और बिना वेतन अवकाश की अवधि तथा यदि वे उत्तम पद पर स्थानापन्न रूप में अथवा अस्थाई पद पर भूत में काम कर रहे हैं तो ओसत सहित अवकाश की अवधि अन्य सभी प्रकार के वर्कशा की अवधि घटा दी गई है।
इसी प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिस/जिन स्थानापन्न कर्मचारियों का/के नाम दिए गए हैं उनके द्वारा प्राप्त अवधि (या) वेतन-वृद्धि की गणना में ली गई है जिस दौरान यदि वह / वे अवकाश पर न होते तो वर्तमान पद/पदों ही गणना पन्न रहते।

क्रम	पदपारी का नाम	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	वर्तमान वेतन जिस दिनांक से क्रिया रहा है	अगामी वेतन वृद्धि की दिनांक	कार्य की अनुपस्थिति जिस वेतन-वृद्धि के लिए गणना में नहीं लिया गया है।	वित्त वेतन अवकाश की अवधि के तथा जो स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं उनके मामलों में सभी प्रकार के अवधि नियमके द्वारा वह पदों पर स्थानापन्न रहते हैं।
1	Smt. Chandni Singh Assistant Section Officer	वेतन भैटिक्स का तेवत-7	Rs.58,600/-	01.07.2019	01.07.2020	Rs 60,400/-	Benefit of grant of annual increment 29.10.2020 (FN) as the officer was on leave (Maternity + Child Cadre Leave) from

२९/११/२०२०
(कैलाश जी शर्मा)
निदेशक

- वितरण – 1. रोकड अनुभाग / कार्यालयाध्यक्ष ।
2. कार्यालय आदेश पुस्तिका।